न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 42/2022

बउनवान

हेमराज उम्र 65 वर्ष पुत्र गिरधारी लाल, जाति ब्राह्मण, निवासी बूंदी, तहसील अन्ता जिला बारां (राज0) (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अन्ता, जिला बारां (रेस्पोंडेंट)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री बाबूलाल जैन, अभिभाषक (अपीलांट)

2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक 06.05.2024

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता के आदेश दिनांक 25.03.2022 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम बूंदी तहसील–अन्ता की आराजी खसरा नम्बर 135/731, खसरा नंबर 135 व खसरा नंबर 163 रकबा 0.80 है0, किस्म–चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 400/– रूपये शास्ति कायम की व सरसों की फसल को कुर्क करने के आदेश प्रदान किये गये है।

अपीलांट ने अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 08.03.2022 के लिये अपीलान्ट को नोटिस जारी किया था, दिनांक 08.03.2022 को अपीलांट उपस्थित हुआ तथा प्रकरण में आगामी पेशी तारीख 25.03.2022 दी गई, जिसकी आदेशिका संलग्न है। दिनांक 25.03.2022 की खाली आदेशिका पर अपीलांट के हस्ताक्षर करवा लिये एवं दिनांक 25.03.2022 को निर्णय सुनाया गया तथा दिनांक 25.03.2022 की खाली आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये गए, इसके बाद उसकी आदेशिका पर नीचे एक ओर हस्ताक्षर करवा लिये, जिसकी अपीलांट को कोई जानकारी नही दी गई तथा दिनांक 08.03.2022 को निर्णय सुनाया गया। इसकी अपीलांट को कोई जानकारी नही दी गई। उपरोक्त आराजी अपीलांट के खाते की है, उसको आवंटन हुई थी, तथा उसकी खातेदारी में दर्ज हुई थी। उसकी खातेदारी को निरस्त करने के लिये तहसीलदार अन्ता ने न्यायालय जिला कलक्टर, बारां में एक अपील पेश की हुई है, जो सरकार जर्ये तहसीलदार अन्ता बनाम हेमराज पुत्र गिरधारी लाल ब्राह्मण, निवासी बूंदी के नाम से जैरकार है, जिसका मि0नं0 7/2008 है। यह अपील स्वंय तहसीलदार अन्ता द्वारा पेश की गई है। यह भूमि प्रार्थी की खातेदारी में द[illegible] अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा के निर्णय दिनांक 04.07.2006 को मि[illegible] 65[illegible]004 हेमराज पुत्र श्री गिरधारी जाति ब्राह्मण, अपीलार्थी बनाम सरकार जर्ये तहसी[illegible] अन्ता से रिमाण्ड किया था। क्योंकि दिनांक 14.07.1999 जि[illegible] भूमि को च[illegible] भूमि दर्ज करने का आदेश दे दिया [illegible] भूमि अपीलांट के [illegible] में है एवं अपीलांट के खातेदारी की है, जो गलत रूप से सिवायचक दर्ज की गई है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.06.19 12:32:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

जिसको पूर्व में भी अपीलांट ने तहसीलदार अन्ता को इस बात से अवगत करवाया था, किन्तु उन्होने कोई ध्यान नही दिया। अपीलांट को निर्णय दिनांक 08.03.2022 की कोई जानकारी नही दी गई। अपीलांट के खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिये गये। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.03.2022 निरस्त फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अन्ता द्वारा मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस हेतु प्रकरण नियत किया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 08.03.2022 के लिये अपीलान्ट को नोटिस जारी किया था, दिनांक 08.03.2022 को अपीलांट उपस्थित हुआ तथा प्रकरण में आगामी पेशी तारीख 25.03.2022 नियत की गई, तथा खाली आदेशिका पर अपीलांट के हस्ताक्षर करवा लिये गये। इसकी अपीलांट को कोई जानकारी नही दी गई तथा अपीलांट को जवाबदेही का अवसर प्रदान नहीं किया गया। आराजी अपीलांट के खाते की है, उसको आवंटन हुई थी, तथा उसकी खातेदारी में दर्ज हुई थी। उसकी खातेदारी को निरस्त करने के लिये तहसीलदार अन्ता ने न्यायालय जिला कलक्टर, बारां में प्रकरण संख्या 7/2008 अन्तर्गत धारा 14 (4) सरकार जर्ये तहसीलदार अन्ता बनाम हेमराज पुत्र गिरधारी लाल ब्राह्मण, निवासी बूंदी जैरकार है, पूर्व में श्रीमान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा के निर्णय दिनांक 04.07.2006 को मि0नं0 65/2004 हेमराज पुत्र श्री गिरधारी जाति ब्राह्मण, अपीलार्थी बनाम सरकार जर्ये तहसीलदार अन्ता से रिमाण्ड किया था। क्योंकि दिनांक 14.07.1999 जिला कलक्टर, बारां ने उपरोक्त भूमि को चारागाह भूमि दर्ज करने का आदेश दे दिया था। उक्त प्रकरण में प्रार्थी स्वंय तहसीलदार अन्ता है, परन्तु तहसीलदार अन्ता द्वारा उक्त प्रकरण में आज दिनांक तक मूल आवंटन रिकार्ड पेश नही किया है तथा उक्त भूमि अपीलांट के कब्जे काश्त में है एवं अपीलांट के खातेदारी की है, जो गलत रूप से सिवायचक दर्ज की गई है, अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.03.2022 निरस्त फरमावें।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रे[illegible]अपीलांट द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत नायब तहसीलदार अन्ता द्वारा प्रकर[illegible]12/2022 में पारित निर्णय दिनांक 12.12.2022 से ग्राम बू[illegible] नंबर 135/731/0.10 है. व खसरा नंबर 135/0.10 है. [illegible]चारागाह के संबंध में संवत 2079 खरीफ में की ग[illegible] 91 एल.आर.ए. समाप्त कर पारित निर्णय में अंकित किया है कि ग्राम बून्दी की उक्त आराजी संवत 2044– 2063

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.06.19 12:32:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

में खाते दर्ज थी तब इसकी किस्म बारानी तृतीय थी, न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के प्रकरण सं. 647/99 में पारित निर्णय दिनांक 14.07.1999 से ग्राम बून्दी के नामान्तरकरण संख्या 100 से खसरा नंबर 134 रकबा 0.87 है., 135 रकबा 0.36 है., 136 रकबा 0.16 है. कुल किता 3 रकबा 1.49 है. भूमि को चारागाह दर्ज करने के आदेश दिये थे। जिसकी अपील अप्रार्थी ने अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय, कोटा में प्रकरण संख्या 65/2004 पेश की जिसमे दिनांक 28.02.2006 को निर्णय पारित किया जाकर जिला कलक्टर, बारां का निर्णय दिनांक 14.07.1999 अपास्त कर अप्रार्थी हेमराज पुत्र गिरधारी जाति ब्राह्मण को आवंटित भूमि निरस्तीकरण के लिये राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रकरण पेश करने का आदेश तहसीलदार अन्ता को दिया। तहसीलदार अन्ता ने उक्त आदेश की पालना में आवंटित भूमि निरस्तीकरण के लिये राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रकरण पेश किया जो प्रकरण संख्या 7/2008 बउनवान सरकार जर्ये तहसीलदार अन्ता बनाम हेमराज पुत्र गिरधारी लाल ब्राह्मण, निवासी बूंदी मूल आवंटन रेकार्ड की तलबी हेतु लम्बित है। जिसमे भी तहसीलदार अन्ता द्वारा लगभग 16 वर्ष पश्चात भी मूल आवंटन रेकार्ड पेश नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता द्वारा प्रकरण संख्या 38 में पारित निर्णय दिनांक 25.03.2022 से की गई बेदखली की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 06.05.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलेक्टर,बारां

जिला कलेक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.06.19 12:32:30 IST
Reason: SelfAttested